न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

पत्रावली संख्याः 05/2017 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

1. रतनसिंह पुत्र जनकसिह
2. भरतसिंह पुत्र जनकसिंह
3. बहादुर पुत्र शंकर
4. केदार पुत्र ओमप्रकाश
5. तेजसिंह पुत्र रोशन

} अकबाम लोधा निवासी ढाना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..............अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत ढाना जरिये सरपंच श्रीमती अवलेश कुमारी।
2. मंदिर श्री माहेश्वरी देवी ग्राम ढाना तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.................रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 19.7.2003 नामान्तरकरण सं0 646 व सिलसिले दानपत्र दिनांक 19.5.2003

उपस्थित :

1. श्री राजेन्द्रसिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री वीरेन्द्रशर्मा वकील रैस्पोडेन्ट संख्या–एक
3. श्री भोलासिंह वकील रैस्पोडेन्ट संख्या–दो

दिनांक : 30.11.2017

निर्णय

यह अपील राज0भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार रूपवास की आज्ञा दिनांक 19.7.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.7. 2003 से मुताविक रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 19.5.2003 के आधार पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरकरण संख्या 646 रैस्पोडेन्ट संख्या–2 के हक में स्वीकार किया गया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दानपत्र दिनांक 19.5.2003 जो रैस्पो0 संख्या 1 ने रैस्पो0 संख्या 2 के हक में तहरीर किया है के आधार पर स्वीकार करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1209 रकबा 3 वीघा 14 विस्बा को न्यायालय उपजिला कलक्टर बयाना द्वारा दिनांक 25.11.1972 को ग्राम पंचायत ढाना को आबादी विस्तार हेतु आवंटन किया था। इस आराजी की वर्गीकरण गैर मुमकिन खेडा दर्ज है इसलिऐ ऐसी भूमि के आवंटन का उपयोग व उपभोग ग्राम पचांयत आबादी विस्तार हेतु ही कर सकती है न कि किसी एक विशेष व्यक्ति के हक में विक्रय आदि दान कर सकती है। रैस्पो0 संख्या 1 के द्वारा रैस्पो0 संख्या 2 के हक में किया गया दानपत्र अवैध व शून्य है तथा अवैध दस्तावेज के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण भी प्रारम्भ से अवैध व शून्य ही रहता है। इसके अलावा विवादित आराजी अनादिकाल से ही आबादी के लिये उपयोग में आ रही है। जिसमें ग्रामवासीयान के पचासों सालों से पुख्ता मकानात बने हुये है चूंकि मौके पर विवादित आराजी खेडा दर्ज थी जो कृषि कार्य में काम नहीं आती थी इसलिऐ वास्तव में आबादी विस्तार के लिये ही उक्त भूमि ग्राम पचांयत के लिये दिनांक 25.11.1972 को आवंटन की गई थी। जब आज कोई भूमि का टुकडा खाली नहीं है तो उस सूरत में उक्त कथित दानपत्र नहीं किया जा सकता है। मौके की कई बार पैमायश मौका पर्चा स्वयं एसडीओ एवं तहसीलदार व एसएचओ के समक्ष दिनांक 6.7.2012 को की गई है इस प्रकार तहत अदालत द्वारा पारित आदेश काबिल निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट का यह भी कहना है कि नामान्तरकरण कृषि भूमि के संबध में ही स्वीकार किया जाता है न कि आबादी भूमि के संदर्भ में। जब यह तथ्य स्वीकृत तथ्य है कि विवादित ख0नं0 1209 कृषि भूमि नहीं है और न ही काबिल काश्त के है तो ऐसी सूरत में भूमि का दाखिल खारिज स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व न तो तहत अदालत ने कोई जांच की न ही कोई सर्वाजनिक नोटिस जारी किया गया इसलिऐ अपीलान्ट को इस अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय रहते नहीं हो सकी। इस अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को उस वक्त हुई जब अपीलान्ट के द्वारा रैस्पोडेन्ट के विरूद्ध विचाराधीन दीवानी दावा में उन्हौने जबाब दावा पेश किया जिसमें विवादित अपीलाधीन नामान्तरकरण का हवाला दिया गया। तदोपरान्त कानूनी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मशविरा लिया जाकर दिनांक 31.2.2017 को नकल प्राप्त की गई और बिना किसी देरी के अपील पेश की गई। चूंकि अपीलाधीन नामान्तरकरण अवैध व शून्य है हस्तान्तरण के आधार पर खोला गया है इसलिऐ ऐसे मामलों में मियाद बिन्दु को देखे जाने का काई औचित्य नहीं रहता है। फिर भी देरी को माफ कर जानकारी दिनांक से अपील अंदर मियाद शुमार की जावे जिसके लिये पृथक से प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 646 दिनांक 19.7.2003 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तहत अदालत तहसीलदार बैर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.7.2003 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि तहत अदालत में अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमानुसार रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 को दिनांक 19.5.2003 को दानपत्र किया गया है जिसके लिये रैस्पो0 संख्या–1 पूर्ण सक्षम है। दानपत्र को लेकर रैगूलर दावा सिविल न्यायालय में भी लम्बित है । दीवानी अदालत को दानपत्र पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है इसलिऐ अपील खारिज फरमायी जावे। रैस्पो0 संख्या 2 के हक में दानपत्र किये जाने के दौरान भूमि खाली थी कोई मकान नहीं बने हुये थे तथा रेवेन्यू रिकार्ड में भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज थी इसलिऐ रैस्पो0 संख्या 2 के हक में दाखिला खारिज सही किया गया है एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण भी विधि संगत है। आज दिनांक तक दानपत्र किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अपील में मिल्कीयती के अधिकार तय नहीं होते है इसलिऐ यह अपील खारिज की जावे। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर भी पेश की गई है एवं देरी का कोई ठोस कारण भी अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में स्पष्ट नहीं किया है। इसलिऐ यह अपील मियांद बाहर होने के कारण भी खारिज योग्य ही रहती है। तहत अदालत ने एक पंजीकृत दानपत्र दस्तावेज के आधार पर ही बाद जांच नियमानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो कानून के दायरे में रह कर ही पारित किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में कहीं कोई कानूनी अनियमिता नहीं है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 646 दिनांक 19.7.2003 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

''Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

'' Liberal view should be Taken in Cononing The Dely in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम नम्बर 14–16 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 19.7.2003 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जो रैस्पोडेन्ट संख्या–1 के द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में किया गया है। विवादित नामान्तरकरण में भूमि की किस्म गैर मुमकिन आबादी अंकित नहीं है ऐसे में नामान्तरकरण की कार्यवाही को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। जिस समर्पण–नामा/दानपत्र द्वारा भूमि समर्पित की गई है जब तक उसकी वैद्यता सक्षम न्यायालय द्वारा तय नहीं हो जाती नामान्तरकरण की कार्यवाही को अवैद्य नहीं ठहराया जा सकता। वकील अपीलान्ट ने स्वयं अपनी अपील मीमो के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा–5 में यह स्वीकार किया है कि पक्षकारान के मध्य इसी मुद्दे को लेकर सक्षम न्यायालय में दीवानी दावा विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में 75 एलआरएक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत नामान्तरकरण की अपील में उस आधार (रजिस्टर्ड दानपत्र) का परीक्षण किया जाना न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार न होने के कारण मुनासिब नहीं रहता है । ऐसा कोई तथ्य भी अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि रजिस्टर्ड दानपत्र सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका हो। अर्थात वर्तमान में रजिस्टर्ड दानपत्र आस्तित्व में है और रजिस्टर्ड दानपत्र के आस्तित्व में रहते हुये उसके आधार पर स्वीकार किये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गये अपीलाधीन नामान्तरकरण में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत तहसीलदार रूपवास द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 646 दिनांक 19.7.2003 बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

भरतपुर